

અધોગ

10

અધોગ

उद्योग

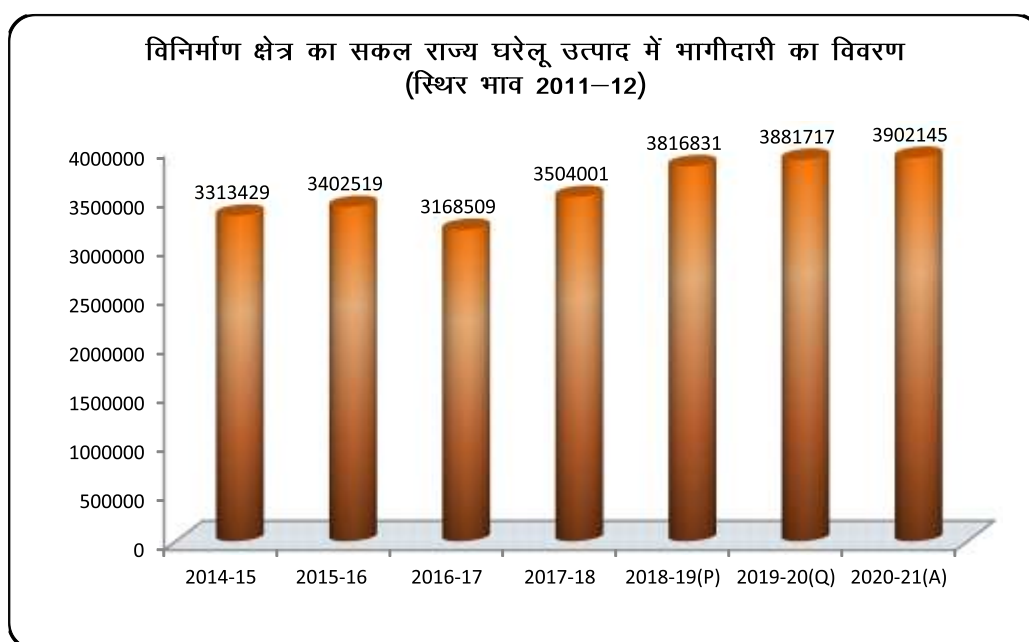
मुख्य बिन्दु

- वर्ष 2020–21 (अग्रिम) में विनिर्माण क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) योगदान 39,02,145 लाख रु. अनुमानित है।
- नई औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन/स्टार्टअप योजनाएं लागू की गई हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग पार्क – नवा रायपुर में 48.56 हेक्टेयर भूमि पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है।
- जिला धमतरी, ग्राम बगौद में कुल 68.68 हेक्टेयर भूमि पर फूड पार्क की स्थापना की गई है। अनुमानित परियोजना लागत रु. 45.00 करोड़ है।
- राज्य में लगभग 19,265 करघों पर लगभग 57,795 बुनकर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगाररत् हैं।
- वर्ष 2019–20 में टसर्, कुकून उत्पादन में 31,593 हितग्राही लाभान्वित हुए थे तथा वर्ष 2020–21 सितंबर 2020 तक 16,984 हितग्राही लाभान्वित हुए।
- वर्ष 19–20 में पालित टसर् 982.40 लाख नग उत्पादन था। वर्ष 20–21 में सितंबर 2020 तक 201.613 लाख नग उत्पादन किया गया है।
- मलबरी कुकून उत्पादन वर्ष 19–20 में 57,275 कि.ग्रा. हुआ।
- रेशम प्रभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2019–20 में कुल 87,330 हितग्राही/श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2020–21 में 92,678 हितग्राही/श्रमिक लाभान्वित का लक्ष्य रखा गया है।

10.1 देश के आर्थिक विकास में औद्योगीकरण का योगदान महत्वपूर्ण है। उद्योग विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ अनेक प्रकार की वस्तुएं उत्पादित करते हैं। छ.ग राज्य में स्थाई एवं सुशासन होने के अतिरिक्त गुणवत्तायुक्त निर्बाध विद्युत, अपार खनिज संपदा, शांत श्रम माहौल तथा आधारभूत औद्योगिक ढांचे की उपलब्धता होने के कारण यह निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बन रहा है। छ.ग. जैसे कृषि आधारित राज्य में कृषि को बढ़ावा देते हुए बेरोजगारी की समस्या को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के विकास से इन क्षेत्रों का तीव्र विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

विनिर्माण क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हिस्सा, वृद्धि एवं भागीदारी तालिका 10.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 10.1 विनिर्माण क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण (स्थिर भाव 2011-12)							
मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19(P)	2019-20(Q)	2020-21(A)
योगदान (लाख)	3313429	3402519	3168509	3504001	3816831	3881717	3902145
वृद्धि (प्रतिशत)	-7.68	2.69	-6.88	10.59	8.93	1.70	0.53
हिस्सा (प्रतिशत)	18.91	18.89	16.28	17.51	17.48	16.95	17.30



उद्योग विभाग का कार्य प्रदेश के चहुमुखी विकास में औद्योगीकरण एवं व्यापार संवर्धन के माध्यम से, राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देते हुए, औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करना है, ताकि राज्य में पूंजी निवेश अधिकाधिक हो, रोजगार के अवसर बढ़ें, राज्य के मूल निवासियों को रोजगार प्राप्त हो व राज्य औद्योगिक दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी हो।

10.2 औद्योगिक नीति 2019-24 में पात्र उद्योगों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन :-

तालिका 10.2 औद्योगिक नीति 2019-24 में पात्र उद्योगों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन :-		
क्र.	योजना का नाम	योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट व रियायतों का विवरण
1	ब्याज अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद)	ऋण पर ब्याज अनुदान का 25 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक, अधिकतम सीमा रु. 10 लाख वार्षिक से 55 लाख वार्षिक, अवधि 5 वर्ष से 11 वर्ष तक।
2	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम)	स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रु. 35 लाख से रु. 120 लाख तक।
3	नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम एवं वृहद)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष से 15 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 35 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक,
4	विद्युत शुल्क छूट- पात्र नवीन/विद्यमान उद्योग के विस्तार/शक्तीकरण हेतु (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा/अल्ट्रा मेगा (कोर सेक्टर को छोड़कर))	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 4 वर्ष - 10 वर्ष तक पूर्ण छूट।
	विद्युत शुल्क छूट- कोर सेक्टर के पात्र नवीन इकाईयों हेतु (मध्यम, वृहद, मेगा/अल्ट्रा मेगा)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष - 10 वर्ष तक पूर्ण छूट।
5	स्टाम्प शुल्क से छूट (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	1. भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे एवं भूमि लीज के विलेखों पर पूर्ण छूट 2. ऋण-अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर 03 वर्ष तक। 3. औद्योगिक क्षेत्र/प्रयोजन हेतु आरक्षित भू-खण्डों/औद्योगिक प्रयोजन तथा भूमि बैंक हेतु अधिग्रहित भूमि/कय की गई भूमि के प्रभावित भू-स्वामियों द्वारा भू-अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा से प्राप्त होने वाली राशि की सीमा तक भू-अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि प्राप्ति के 02 वर्ष के भीतर कृषि भूमि कय करने पर 4. भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र/पार्क हेतु कय/पट्टे पर 5. औद्योगिक क्षेत्र/भू-खण्ड/प्रयोजन, भूमि बैंक हेतु सीएसआईडीसी द्वारा कय/लीज पर 6. बंद/ बीमार औद्योगिक इकाई के क्रय पर 6. फिल्म उद्योगों 7. लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेन साइलो।
6	मंडी शुल्क से छूट (सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद, श्रेणी के कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योग)	सर्वप्रथम कच्चा माल क्रय करने के दिनांक से 5 वर्ष तक पूर्ण छूट, अधिकतम राशि रु. 2 करोड़ प्रतिवर्ष की सीमा तक, छूट की कुल अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं।
7	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, उद्योग)	स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत अधिकतम सीमा रु. 2.50 लाख।
8	भू-उपयोग में परिवर्तन शुल्क में छूट (सूक्ष्म एवं लघु उद्योग)	अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए भू-पुनर्निर्धारण कर में 50 प्रतिशत छूट।

तालिका 10.2 औद्योगिक नीति 2019-24 में पात्र उद्योगों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन :-		
क्र.	योजना का नाम	योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट व रियायतों का विवरण
10	अनुसूचित जनजाति/ जाति वर्ग को औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/ रियायत (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग)	1. औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापना हेतु भू-प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट एवं भू-भाटक की दर रु. 1 प्रति एकड़ वार्षिक। 2. औद्योगिक दृष्टि से विकसित एवं विकासशील क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तक एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े एवं अति पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में 50 प्रतिशत तक भू-खण्डों का आरक्षण।
11	गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम)	व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 5 लाख प्रत्येक प्रमाणीकरण हेतु।
12	तकनीकी पेटेन्ट अनुदान (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग)	व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 10 लाख।
13	प्रौद्योगिकी कय अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	व्यय पर किये गये भुगतान का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 10 लाख।
14	मार्जिन मनी अनुदान (अनुसूचित जाति/ जनजाति, महिला, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, तृतीय लिंग, निःशक्तजन के उद्यमी)	रु. 5 करोड़ के पूंजीगत लागत तक के नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु 25 प्रतिशत, अधिकतम रु. 50 लाख।
15	औद्योगिक पुरस्कार योजना	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रु. 1.51 लाख, 1.00 लाख एवं 51 हजार एवं प्रशस्ति पत्र, (5 श्रेणियों में- सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के समग्र मूल्यांकन, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, महिला उद्यमी द्वारा स्थापित उद्योग, स्टार्टअप इकाईयों)
16	दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स)	स्थायी नौकरी प्रदान करने पर शुद्ध वेतन/पारिश्रमिक की 40 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, 5 वर्ष की अवधि तक अधिकतम रु. 5 लाख वार्षिक।
17	इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (सूक्ष्म, लघु, मध्यम)	कार्बन क्रेडिट की प्राप्ति एवं कार्बन फुटप्रिंट की कमी से संबंधित प्रत्येक तकनीकी पर मशीनरी लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु. 25 लाख।
18	परिवहन अनुदान (केवल निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु)	निर्माण स्थान से निर्यात स्थान तक वास्तविक भाड़ा के बराबर सहायता, अधिकतम सीमा रु. 20 लाख प्रतिवर्ष, 05 वर्ष तक।
19	औद्योगिक क्षेत्रों/पाकों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत (सूक्ष्म, लघु, मध्यम)	भू-प्रब्याजि में 30 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक छूट।

10.3 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फ़ैसिलिटेशन कॉउंसिल:—सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं/सामग्रियों की आपूर्ति के पश्चात् क्रेताओं द्वारा समय पर भुगतान न करने अथवा भुगतान संबंधित विवादों के निराकरण हेतु राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फ़ैसिलिटेशन काउंसिल गठित है। काउंसिल के अध्यक्ष उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग तथा 4 अन्य वित्त एवं आर्थिक क्रियाकलापों के विशेषज्ञ होते हैं।

10.4 मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना :—युवा वर्ग को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी, आत्मनिर्भरता, कार्यक्षमता का पूर्ण उपयोग एवं योग्यता के अनुरूप स्वयं का रोजगार (उद्यम, सेवा, व्यवसाय) प्रारंभ करने हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त होने संबंधी समस्याओं के दीर्घकालीन निराकरण हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गयी है। उनके स्वरोजगार स्थापना में बैंकों की ऋण प्रदायगी में राज्य शासन की गारंटी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा गारंटी शुल्क, सेवा शुल्क का भुगतान किया जाता है तथा मार्जिन मनी अनुदान (अधिकतम 1.50 लाख रु.) व औद्योगिक नीति के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन भी दिये जाते हैं।

ऋण की सीमा—

विनिर्माण उद्यम —	परियोजना लागत अधिकतम रु.	25.00 लाख
सेवा उद्योग —	परियोजना लागत अधिकतम रु.	10.00 लाख
व्यवसाय —	परियोजना लागत अधिकतम रु.	02.00 लाख

10.5 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :—उद्देश्य—देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन। परियोजना लागत—विनिर्माण — अधिकतम रु. 25.00 लाख
सेवा एवं व्यवसाय — अधिकतम रु. 10.00 लाख लाभार्थी का अंशदान—सामान्य वर्ग — 10 %
अजा/अजजा/अपिवर्ग व अन्य — 5 % अनुदान की दर—सामान्य वर्ग — शहरी 15 %, ग्रामीण 25 %
अजा/अजजा/अपिवर्ग व अन्य— शहरी 25 %, ग्रामीण 35 % पात्रता —आयु 18 वर्ष से अधिक, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं उत्तीर्ण, स्वसहायता समूह/सोसायटी भी पात्र

10.6 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना—

(सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग, व्यवसाय व सेवा हेतु बैंको के माध्यम से ऋण वितरण)

1. “शिशु” — रु. 50,000 तक
2. “किशोर” — रु. 50,000 से अधिक एवं रु. 5 लाख तक,
3. “तरुण” — रु. 5 लाख से अधिक एवं रु. 10 लाख तक।

10.7 “स्टैण्ड अप इंडिया” योजना –

- (अ) पात्रता— (1) अनुसूचित जाति, (2) अनुसूचित जनजाति, (3) महिला उद्यमी
- (ब) लक्ष्य— प्रत्येक बैंक शाखा हेतु न्यूनतम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक हितग्राही एवं एक महिला उद्यमी।
- (स) ऋण सीमा— रु. 10 लाख से 1 करोड़ रु.।

10.8 छत्तीसगढ़ राज्य विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र नीति—

1. छत्तीसगढ़ उन राज्यों में सम्मिलित हुआ, जिनकी पृथक से एस.ई.जेड. पॉलिसी है।
2. राज्य में निर्यात उत्पादन को बढ़ावा
3. नये एस.ई.जेड. (विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र) – राजनांदगांव— सोलर पेनल (आंशिक परियोजना प्रारंभ)

10.9 छत्तीसगढ़ लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी :-राज्य में लॉजिस्टिक सुविधाओं के लाभ हेतु लॉजिस्टिक पॉलिसी 2018 जारी की गयी है, जिसकी कार्यावधि 05 वर्ष होगी व यह अवधि 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2023 तक समाप्त होगी। जिसमें लॉजिस्टिक सुविधाओं हेतु एक आकर्षक पैकेज है, व राज्य के प्रत्येक जिले में एक लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की योजना है तथा लॉजिस्टिक सेवाओं का विस्तार करना है, व इस नीति के तहत लॉजिस्टिक पार्क को उद्योग का दर्जा दिया गया है। लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना हेतु ई.ओ.आई. दिये जाने हेतु विज्ञापन दिया जा चुका है।

10.9.1 उद्देश्य—

- राज्य को लॉजिस्टिक सेवा के क्षेत्र में विकसित करना तथा राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि करना।
- लॉजिस्टिक अधोसंरचना का आधुनिकीकृत एवं मशीनीकृत प्रक्रिया का उपयोग।
- रोजगार के नये अवसरों का सृजन।
- निजी निवेश को प्रोत्साहन करना।
- देश के प्रतिष्ठित व्यवसायिक समूहों को राज्य में निवेश हेतु आकर्षित करना।
- व्यापार एवं वाणिज्य की लागत में कमी कर उपभोक्ता सामग्री के मूल्यों को कम करना।

राज्य में उपलब्ध मानव संसाधनों का कुशलता से दोहन।

10.9.2 लॉजिस्टिक पार्क को दी जाने वाली अनुदान, छूट व रियायतें :-

तालिका 10.3 लॉजिस्टिक पार्क को दी जाने वाली अनुदान, छूट व रियायत		
योजना का नाम	20-40 एकड़ इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क	40 एकड़ से अधिक क्षेत्र पर इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क
स्थायी पूंजी निवेश अनुदान	पात्र स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रु. 10.00 करोड़ से रु. 12.50 करोड़	पात्र स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 12.50 करोड़ से रु. 15.00 करोड़
ब्याज अनुदान (केवल सावधि ऋण पर)	6-7 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रु. 60 लाख से रु. 100 लाख वार्षिक ।	
विद्युत शुल्क छूट	लॉजिस्टिक पार्क में वाणिज्यिक गतिविधियों प्रारंभ करने के दिनांक से 08 से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट	
भू-प्रीमियम में छूट/रियायत	भू-प्रब्याजि में 20 से 25 प्रतिशत छूट	

10.9.3.स्टाम्प शुल्क से छूट-स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट निम्नांकित प्रकरणों में दी जायेगी

(अ) लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना हेतु परियोजना प्रतिवेदन में दी गयी अधिकतम भूमि की मात्रा तक / लीज के प्रकरणों में न्यूनतम 30 वर्ष की लीज पर-

(ब) ऋण-अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक

10.9.4 गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान-राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान लॉजिस्टिक पार्कों को आई0एस0ओ0- 9000, आई0एस0ओ0-14000, आई0एस0ओ0 18000, आई.एस.ओ. 22000 श्रेणी, आई.एस.ओ. 9001:2008, आई.एस.ओ. 16091:2002 एवं जेड प्रमाणीकरण या अन्य राष्ट्रीय/ अर्न्तराष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुये व्यय की 60 प्रतिशत राशि, अधिकतम रु. 1.50 लाख, की प्रतिपूर्ति प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर की जाएगी ।

10.9.5 तकनीकी पेटेन्ट अनुदान -राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान लॉजिस्टिक पार्कों को उनके मूल कार्य/अनुसंधान के आधार पर सफलतापूर्वक पंजीकृत एवं स्वीकृत पेटेन्ट के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा एवं प्रत्येक पेटेन्ट हेतु किये गये व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम रु. 6 लाख, की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

10.9.6 प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान -राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान लॉजिस्टिक पार्कों को इस योजना के अन्तर्गत एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर किये गये भुगतान का 60 प्रतिशत अधिकतम रु0 6 लाख की प्रतिपूर्ति की जावेगी ।

10.9.7 विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान -राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान लॉजिस्टिक पार्कों को भारत सरकार के निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर का अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत निःशक्तों को स्थायी नौकरी प्रदान करने पर उनके शुद्ध वेतन/ पारिश्रमिक की 25 प्रतिशत अनुदान की राशि की प्रतिपूर्ति तब तक की जावेगी जब तक उन्हें स्थायी नौकरी में रखा जाता है ।

10.9.8 ई.पी.एफ. अनुदान की प्रतिपूर्ति —डेव्हलपर द्वारा किये गये कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान पर 05 वर्षों तक प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1.00 लाख रु. प्रतिवर्ष होगी। प्रतिपूर्ति निम्नानुसार दिया जायेगा:—

अ. महिला रोजगार — 100 प्रतिशत

ब. पुरुष रोजगार — 75 प्रतिशत

10.9.9 वाहन पंजीयन शुल्क में छूट—लॉजिस्टिक्स अधोसंरचना के लिए परियोजना प्रतिवेदन में दिये गये माल परिवहन वाहनों की संख्या पर (अधिकतम 50 वाहन), जिनकी क्षमता 09 मे.टन से कम न हो, के पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत रियायत दी जायेगी।

10.9.10 स्वरोजगार योजनाएँ :—

तालिका 10.4 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम— (राशि लाख में)							
क्र०	वर्ष	लक्ष्य		स्वीकृत		वितरित	
		भौतिक	वित्तीय (मार्जिन मनी)	संख्या	राशि (मार्जिन मनी)	संख्या	राशि (मार्जिन मनी)
1.	2018-19	1014	2535.65	1348	2811.62	1693	3527.37
2.	2019-20 (सितं. 19)	1112	3337.37	311	737.25	359	719.05
3.	2019-20 (मार्च 2020)	1112	3337.37	1421	2882.52	1572	3126.23
4.	2020-21 (सितं. 2020)	1140	3421.01	507	1107.53	377	813.12

तालिका 10.5 मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना— (राशि लाख में)							
क्र०	वर्ष	लक्ष्य		स्वीकृत		वितरित	
		भौतिक	वित्तीय (मार्जिन मनी)	भौतिक	वित्तीय (मार्जिन मनी)	भौतिक	वित्तीय (मार्जिन मनी)
1-	2018-19	580	300.00	812	1816.84	431	140.93
2-	2019-20 (सितं. 19)	600	301.00	147	56.65	40	11.40
3-	2019-20 (मार्च 2020)	600	401.00	679	243.78	488	169.09
4-	2020-21 (सितं. 2020)	610	306.00	396	168.16	17	7.19

10.9.11 Ease of Doing Business(ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) —उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईपी), भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा EoDB के तहत कराए जा रहे सुधारों के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान वर्ष 2015, 2016 में चतुर्थ स्थान पर रहा एवं 2017 में देश के टॉप एचिवर्स राज्यों में रहा।

10.9.12 Business Reform Action Plan- 2019 - वर्ष 2019 में Ease of Doing Businessके तहत 80 बिन्दुओं की सूची जारी की गई है जिसमें कुल अंक 143 हैं। इसमें सुधार के 12 क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है एवं जो कि राज्य के 19 विभागों एवं संस्थाओं से संबंधित है।

10.9.13 Ease of Doing Business के अन्तर्गत उद्योग विभाग द्वारा लागू किये गये प्रमुख सुधार एवं अन्य विभागों से कराए गए प्रमुख सुधार निम्नानुसार हैं—

तालिका 10.6 Ease of Doing Business के अन्तर्गत प्रमुख सुधार		
1.	उद्योग विभाग एवं सी.एस.आई.डी.सी लिमिटेड	- उद्योग विभाग द्वारा Single Window System के माध्यम से विभिन्न विभागों की 43 सेवाओं को Online प्रदाय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 30 अन्य सेवाओं को भी Single Window System से संयोजित किया जा रहा है। जो केवल ऑनलाइन Single Window System के माध्यम से प्रदान की जायेगी। - Single Window System के माध्यम से इन सभी 43 सेवाओं हेतु आवेदन, दस्तावेज अपलोड करना, आवेदन राशि का भुगतान Online करना, आवेदन की स्थिति ज्ञात करना एवं स्वीकृत प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति/पंजीयन आदि Online डाउनलोड करने की सुविधा प्रदाय की गई है। "उद्यम आकांक्षा" Online, निःशुल्क, बिना किसी संलग्नक के एवं स्वप्रमाणन के आधार पर तुरंत जारी किये जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य में 40,000 से अधिक उद्यम आकांक्षा जारी किये जा चुके हैं। - उद्योग स्थापना एवं संचालन करने हेतु आवश्यक समस्त अनुज्ञप्तियां /अनुमति/प्रमाण-पत्र आदि की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कोई भी निवेशक अपने योजना के अनुसार लगने वाले अनुज्ञप्तियां /अनुमति/प्रमाण-पत्र आदि की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकता है। - उद्योग से संबंधित सभी शंकाओं के समाधान करने हेतु विशेष टोल फ्री नंबर-1800-233-3943 विभाग की वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया है तथा समस्याओं के निराकरण हेतु Grievance redressal प्रणाली विकसित की गई है। - CSIDC द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आबंटन पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। - प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों हेतु उपलब्ध भूमि GIS पद्धति के माध्यम से देखने की सुविधा प्रदान की गई है जिसका उपयोग करके कोई भी निवेशक पर्यावरण की दृष्टि से लाल, नारंगी, हरी या सफेद श्रेणी के उद्योगों हेतु उपलब्ध भूमि, आस-पास उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं जैसे की सड़क, नाले, नहर, विद्युत आपूर्ति आदि की जानकारी GIS पर आधारित नक्शे में देख सकते हैं। - औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक क्षेत्रों में जल कनेक्शन के लिये आवेदन की भी ऑनलाइन प्रणाली लागू की गई है। - औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित अनुदान, छूट एवं रियायतें औद्योगिक इकाईयों को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से दी जा रही है।
2.	वाष्पयंत्र निरीक्षणालय	- वाष्पयंत्र के पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन प्रणाली लागू की गई है। - बॉयलर नवीनीकरण के लिये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की गई है। - बॉयलर उत्पादनकर्ता के पंजीयन तथा नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन प्रणाली लागू की गई है।
3.	नगरीय प्रशासन विभाग	✓ भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु Auto CAD पर आधारित ऑनलाइन आवेदन की प्रणाली लागू की गई है। ✓ छत्तीसगढ़ के भवन निर्माण अनुज्ञा की ऑनलाइन प्रणाली को DPIIT द्वारा Best Practice का दर्जा दिया गया है। ✓ भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु निरीक्षण की प्रणाली GPS पर आधारित है। यह प्रणाली लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य है। ✓ भवन निर्माण अनुज्ञा की सिंगल विन्डो प्रणाली के माध्यम से अन्य विभागों की NOC जैसे- विमानन प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग आदि हेतु आवेदन की व्यवस्था लागू की गई है।
4.	नगर तथा ग्राम निवेश विभाग	- भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु भवनों को उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। - भवन निर्माण के पूरा होने के चरणों के दौरान लागू प्रमाणन के लिये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था लागू की गई है।

5.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल	✓ जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत स्थापना सम्मति एवं संचालन सम्मति तथा परिसंकटमय अपशिष्ट नियमों के अंतर्गत अनुज्ञा के आवेदन की ऑनलाईन व्यवस्था की लागू की गई है। ✓ सफेद श्रेणी के उद्योगों को उद्योग स्थापना एवं संचालन सम्मति लेने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया है। ✓ जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत स्थापना सम्मति एवं संचालन सम्मति को स्व प्रमाणन के आधार पर नवीनीकरण की व्यवस्था लागू की गई है। ✓ प्रथम स्थापना सम्मति एवं संचालन सम्मति की वैधता 5 वर्ष कर दी गई है। ✓ नारंगी श्रेणी को नियतकालिक निरीक्षण के लिये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की सुविधा प्रदान की गई है। ✓ सफेद एवं हरा श्रेणी के उद्योगों को निरीक्षण से मुक्त कर दिया गया है। ✓ जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत निरीक्षण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया, निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज आदि की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।
6.	श्रम विभाग	✓ समस्त श्रम कानूनों के तहत एकीकृत विवरणी दाखिल की ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई है। ✓ फैक्ट्री लायसेंस एवं उसकी नवीनीकरण की वैधता अधिकतम 10 वर्ष की गई है। ✓ उद्योगों को उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है एवं निम्न जोखिम के उद्योगों को निरीक्षण से मुक्त कर दिया गया है। ✓ मध्यम जोखिम वाले उद्योगों के लिये विभागीय निरीक्षण की अनिवार्यता से मुक्त करते हुये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की सुविधा प्रदान की गई है। ✓ समस्त श्रम कानूनों के तहत संयुक्त निरीक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। ✓ विभिन्न श्रम कानूनों के तहत निरीक्षण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया, निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज आदि की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। ✓ दुकानों एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत गुमास्ता लायसेंस हेतु निरीक्षण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। ✓ गुमास्ता लायसेंस के नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।
7.	ऊर्जा विभाग	✓ उद्योग के लिये विद्युत कनेक्शन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की संख्या घटाकर केवल 2 कर दी गई है। ✓ विभाग की वेबसाइट के माध्यम से नवीन विद्युत कनेक्शन के लिये भुगतान की जाने वाली राशि की गणना करने की सुविधा प्रारंभ की गयी है। ✓ विद्युत कनेक्शन प्रदाय करने की समय-सीमा 7 दिवस (जहाँ राइट-ऑफ वे लेने की आवश्यकता नहीं है) तथा 15 दिवस (जहाँ राइट-ऑफ वे लेने की आवश्यकता है) निर्धारित की गई है।

8.	पंजीयन विभाग	✓ भूमि/सम्पत्ति पंजीयन हेतु आवश्यक डीड/करार के नमूने विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं। ✓ भूमि/सम्पत्ति पंजीयन हेतु ई-स्टॉम्प की सुविधा प्रदाय की गई है। ✓ पंजीयन, राजस्व तथा शहरी विकास प्राधिकरण के मध्य एकीकरण कर सम्पत्ति के संबंध में तीनों विभागों से संबंधित जानकारी एक ही वेबसाइट के माध्यम से सर्च करने हेतु ऑनलाईन प्रणाली विकसित की जा रही है। ✓ सम्पत्ति पंजीयन हेतु ऑनलाईन की प्रणाली लागू की गई है। ✓ विगत तीन वर्षों के समस्त भूमि पंजीयन के दस्तावेज डिजिटल करवाये जाकर उनकी स्कैन प्रति ऑनलाईन उपलब्ध कराई गई है। विगत दस वर्षों के दस्तावेज डिजिटल करने की कार्यवाही की जा रही है। ✓ सम्पत्ति पंजीयन हेतु पैर/आधार नंबर के द्वारा सत्यापन की सुविधा लागू की गई। ✓ नामांतरण की सुविधा को पंजीयन से एकीकृत कर नामांतरण की प्रक्रिया को सरल किया गया है। ✓ पंजीयन हेतु सम्पत्ति के मूल्यांकन के अनुसार लागू पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क की गणना वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है।
9.	वाणिज्यिक कर विभाग	✓ जी.एस.टी के अंतर्गत करदाता द्वारा दाखिल किये जाने वाले ई-फाइलिंग के संबंध में सहयोग हेतु हेल्पलाईन नंबर तथा प्रत्येक जिले में सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है। ✓ स्टेट जी.एस.टी के अंतर्गत Advance Ruling हेतु Appellate का गठन तथा आवेदन के संबंध में समस्त जानकारी विभाग की वेबसाइट में उपलब्ध कराई गई है।
10.	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	✓ उद्योग स्थापना हेतु वृक्ष कटाई के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई है। ✓ वृक्ष कटाई के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड करने की समय सीमा घटाकर 48 घंटे की गई एवं निरीक्षण प्रतिवेदन, आवेदक को भी ऑनलाईन देखने की सुविधा प्रदाय की गई है। ✓ वृक्ष की प्रजातियों के आधार पर उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम की श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है। ✓ भूमि संबंधी विवादों की न्यायिक डेटाबेस (राजस्व) के साथ भूमि रिकार्ड डेटाबेस को एकीकृत किया गया है जिसके माध्यम से किसी भूमि पर चल रही विवाद की स्थिति स्वतः ऑनलाईन अपडेट होने की सुविधा लागू की गई है।
11.	विधि विभाग	✓ वाणिज्यिक विवादों की सुनवाई के लिये छत्तीसगढ़ राज्य में देश का प्रथम वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना की गई है। ✓ वाणिज्यिक न्यायालय अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। ✓ ई-फाइलिंग एवं ई-समन की सुविधा भी वाणिज्यिक न्यायालय में प्रदाय की गई है एवं न्यायिक फैसले डिजिटल साइन के माध्यम से जारी किये जा रहे हैं जो कि वाणिज्यिक न्यायालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।
12.	वन विभाग	1. काष्ठ परिवहन की अनुमति हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गयी है। 2. काष्ठ परिवहन की अनुमति की वैधता के ऑनलाईन सत्यापन की सुविधा प्रारंभ की गयी है।
13.	नापतौल विभाग	1. नापतौल विभाग के अंतर्गत पंजीयन हेतु ऑनलाईन प्रणाली प्रारंभ की गयी है। 2. पंजीयन प्रमाण-पत्र की वैधता के ऑनलाईन सत्यापन की सुविधा प्रारंभ की गयी। 3. निरीक्षण प्रतिवेदन 48 घंटे के भीतर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।
14.	लोक निर्माण विभाग	सड़क काटने की अनुमति हेतु ऑनलाईन प्रणाली विकसित की गई है।
15.	खाद्य एवं औषधि विभाग	औषधि निर्माण एवं विक्रय की अनुमति हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गयी है।

16.	वित्त विभाग	राज्य में लगने वाले समस्त करों की जानकारी एवं उनके ऑनलाईन भुगतान, ऑनलाईन रिटर्न फाइल करने की सुविधा हेतु पोर्टल विकसित किया गया है, जिसकी सहायता से आवदकों/ करदाताओं को सारी जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध होगी।
17.	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय	1. मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के अंतर्गत समस्त पंजीयन के लिये ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 2. चार्जिंग अनुमति हेतु मुख्य विद्युत निरीक्षक की ऑनलाईन प्रणाली को सीएसपीडीसीएल की वेबसाइट से संयोजित किया गया है।
18.	रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ	साझेदारी फर्म्स एवं संस्थाओं के पंजीयन के लिये ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है।
19.	आबकारी विभाग	FL-2, FL-3, FL-3(A), FL-4, FL-4(A), FL-5 तथा FL-5(A) लायसेंस के लिये ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है।

10.9.14 निरीक्षण सुधार :—

- औद्योगिक इकाइयों में विभिन्न विभागों द्वारा संपादित किए जाने वाले निरीक्षण में पारदर्शिता एवं जानकारी साझा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली लागू की गई है जिसमें बॉयलर, श्रम विभाग एवं पर्यावरण विभाग को शामिल किया गया है।
- उपरोक्त विभागों द्वारा संपादित किए जाने वाले निरीक्षण की तिथि, निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम आदि की जानकारी श्रम विभाग के केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर उपलब्ध है।
- सभी निरीक्षण प्रतिवेदन 24 घंटे के भीतर केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर अपलोड करने की अनिवार्यता की गयी।
- निरीक्षण के बिन्दु, निरीक्षण प्रक्रिया आदि की जानकारी केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।
- आकस्मिक निरीक्षण हेतु विभागाध्यक्ष से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य किया जा रहा है।

10.10 राज्य में रेल्वे लाइनों का विकास :— राज्य के गठन के पूर्व राज्य में लगभग 1186 कि.मी. का रेल्वे नेटवर्क था। राज्य में रेल अधोसंरचनाओं, का विकास करने के लिये राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम कम्पनियां बनाई, जिसके माध्यम से नई रेल लाइनों का विकास किया जा रहा है।

10.10.1 वर्तमान में राज्य में निम्नांकित रेल्वे कॉरीडोर एवं रेल लाइन की स्थापना का कार्य प्रगति पर है—

- **ईस्ट रेल कॉरीडोर** — ईस्ट रेल कॉरीडोर की स्थापना हेतु दिनांक 03.11.2012 को एम.ओ.यू. का निष्पादन एवं दिनांक 12.03.2013 को छत्तीसगढ़ शासन, एस.ई.सी.एल. व इरकॉन के इक्विटी पार्टनरशिप से ज्वाइंट वेन्चर कम्पनी का गठन किया जा चुका है व दिनांक 18.01.2014 को परियोजना के क्रियान्वयन का अनुबंध इरकॉन कम्पनी के साथ किया जा चुका है। यह परियोजना दो चरणों में क्रियान्वित की जा रही है। ईस्ट रेल कारीडोर (Phase-1) खरसिया से धर्मजयगढ़ के मध्य तथा ईस्ट रेल कारीडोर (Phase-2) धर्मजयगढ़ से कोरबा के मध्य बनाया जा रहा है।

परियोजना की स्थापना हेतु भू-अधिग्रहण की कार्यवाही के पश्चात् निर्माण कार्य सतत् प्रगति पर है।

ईस्ट रेल कॉरीडोर (Phase-1) का क्षेत्र खरसिया-धर्मजयगढ़-घरघोड़ा-डोंगा महूआ, (131 कि.मी) है व इस कॉरीडोर में 08 स्टेशनों (गुरदा, छाल, घरघोड़ा, कोरीचेपर, कुरुनकेला, धर्मजयगढ़ रोड, डोलेसरा एवं पेलमा) स्थापित होगी। इसकी परियोजना लागत रुपये 3055.15 करोड़ है। इस चरण का कार्य मार्च 2020 तक पूर्ण होने की संभावना है। इसके प्रथम चरण में खरसिया से कोरीछापर लगभग 45 कि.मी. तक रेल बिछाई जाकर ट्रायल के रूप में मालगाड़ी का परिचालन किया जा रहा है।

ईस्ट रेल कॉरीडोर (Phase-2) धर्मजयगढ़ से कोरबा के मध्य 62.5 किमी लंबाई में रुपये 1686 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इसके मार्च 2022 तक पूर्ण होने की संभावना है।

- **ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरीडोर**— ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरीडोर की स्थापना हेतु दिनांक 03.11.2012 को एम.ओ.यू. का निष्पादन एवं दिनांक 25.03.2013 को छत्तीसगढ़ शासन, एस.ई.सी.एल. व इरकॉन के इक्विटी पार्टनरशिप से ज्वाइंट वेन्चर कम्पनी का गठन किया जा चुका है व दिनांक 05.04.2014 को परियोजना के क्रियान्वयन का अनुबंध इरकॉन के साथ किया जा चुका है। इसकी परियोजना लागत रुपये 4,970 करोड़ है।

परियोजना की स्थापना हेतु भू-अधिग्रहण की कार्यवाही के पश्चात् प्रथम 35 कि.मी. में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरीडोर का क्षेत्र गेवरा-पेण्ड्रा रोड, उरगा-कुसमुण्डा (138 कि.मी) है व इस कॉरीडोर में 09 स्टेशनों (सुरकछार, कटघोरा, बिन्झारा, पुटुवा, मटिनि, सेन्दुगढ़, पुटी पखाना, भण्डी, धनगवां) स्थापित होगी।

उक्त दोनों कॉरीडोर के बन जाने से सुदूर आदिवासी अंचलों में यात्री परिवहन में आसानी के साथ-साथ माल परिवहन भी प्रारंभ करना संभव होगा।

- **दल्ली राजहरा—रावघाट रेललाईन परियोजना** — इस परियोजना में रेल्वे लाईन की लम्बाई 95 कि.मी. है। इसमें से प्रथम 43 किमी. तक रेललाईन का निर्माण किया जाकर दल्ली राजहरा—केवटी तक यात्री गाड़ी का परिचालन किया जा रहा है।

इस रेललाईन परियोजना की अनुमानित निर्माण लागत रुपये 1,141 करोड़ है। इस रेललाईन के शेष हिस्से में निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है।

- **रावघाट—जगदलपुर परियोजना** — इसकी परियोजना लागत रु. 2,538.60 करोड़ है व परियोजना में एन.एम.डी.सी., स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि0, इरकॉन एवं छत्तीसगढ़ शासन की भागीदारी है। परियोजना की स्थापना हेतु स्पेशल पर्पज व्हीकल कम्पनी — बस्तर रेल्वे प्रा.लि. गठित हो चुकी है।

रावघाट—जगदलपुर परियोजना की लम्बाई 140 कि.मी है। परियोजना की स्थापना हेतु ट्रेक एलाइनमेंट, लोकेशन सर्वे व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रेल्वे लाईन हेतु भूमि अधिग्रहण अंतिम चरण में है। डी.पी.आर. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

- **चिरमिरी— नागपुर रोड हाल्ट रेल लिंक परियोजना** — इसकी परियोजना लागत रु. 241 करोड़ है व परियोजना में भारतीय रेलवे एवं छत्तीसगढ़ शासन की 50:50 की भागीदारी है। परियोजना का क्रियान्वयन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा किया जाना है।

चिरमिरी—नागपुर रोड हाल्ट रेल लिंक परियोजना की लम्बाई 17 कि.मी है। इस रेल लिंक की स्थापना से मनेन्द्रगढ़ के निवासियों को रेल आवागमन हेतु अतिरिक्त मार्ग प्राप्त होगा, जिससे मुख्य मार्ग की यात्री ट्रेनों की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इस लाईन के निर्माण हेतु दक्षिण मध्य पूर्व रेलवे द्वारा सर्वे की कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण होना अपेक्षित है।

10.10.2 राज्य में रेल्वे नेटवर्क के विकास हेतु दिनांक 09 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ शासन व भारत सरकार, रेल मंत्रालय के मध्य एक एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया है व एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन हेतु छ. ग. शासन व रेल मंत्रालय की एक संयुक्त उपक्रम कंपनी “छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन लिमिटेड” गठित की गयी है। जिसमें राज्य शासन की भागीदारी 51 प्रतिशत है एवं भारत सरकार का सहभागिता 49 प्रतिशत है। एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन हेतु संयुक्त उपक्रम अनुबंध दिनांक 04.08.2016 को निष्पादित किया गया है।

संयुक्त उपक्रम कंपनी द्वारा प्रथम चरण में निम्नांकित चार रेल्वे परियोजनाएँ की स्थापना हेतु अध्ययन किया गया है, जो एस.पी.व्ही. के माध्यम से क्रियान्वित हो सकेगी।

- I. डोंगरगढ़-खैरागढ़-कवर्धा- मुंगेली-कोटा-कटघोरा, 295 कि.मी., रेल मंत्रालय से डी.पी.आर. अनुमोदित, परियोजना लागत रु. 5,950 करोड़, नवीन एसपीव्ही हेतु सीआरसीएल, महाजेन्को एवं एसीबी आईईएल के मध्य सहमति, एसपीव्ही छत्तीसगढ़-कटघोरा-डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड गठित। रेल मार्ग हेतु सर्वे किया जाकर भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन।
- ii. खरसिया-बलौदाबाजार- नया रायपुर-परमालकसा (दुर्ग) 268 कि.मी. रेल मंत्रालय से सैद्धांतिक सहमति प्राप्त, संभावित परियोजना लागत रु. 5,705 करोड़, नवीन एसपीव्ही हेतु संभावित उपयोगकर्ताओं से विचार-विमर्श जारी।
- iii. अम्बिकापुर – बरवाडीह 182 कि.मी. सर्वेक्षण प्रारंभ।
- iv. कटघोरा से सूरजपुर के बीच परसा से मतीन तक – 65 कि.मी. सर्वेक्षण प्रारंभ।

उद्योग विभाग के अंतर्गत स्थापित निगम/बोर्ड

10.11 छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत एक ही निगम “छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड” गठित है। इस निगम की अधिकृत पूंजी रुपये 10 करोड़ एवं प्रदत्त पूंजी रुपये 1.60 करोड़ है।

भारत शासन द्वारा वर्ष 2000 में किये गये राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत स्थापित निगमों यथा—(1) मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर (2) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (3) मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम (4) मध्यप्रदेश वित्त निगम (5) म.प्र. निर्यात निगम (6) म.प्र. औद्योगिक विकास निगम (7) मध्यप्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन (8) मध्यप्रदेश टेक्सटाईल कार्पोरेशन को इसमें समाहित किया गया है।

राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निगम के द्वारा विभिन्न गतिविधियां निष्पादित की जाती हैं – यथा औद्योगिक संवर्धन, प्रचार-प्रसार, अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना, लघु उद्योगों के विपणन में सहायक की भूमिका, कच्चा माल आपूर्ति, शासकीय उद्योगों का संचालन, राज्य की राजधानी में राज्योत्सव का आयोजन एवं नई दिल्ली के भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य के मंडप का निर्माण एवं संचालन एवं शासन द्वारा समय समय पर निर्देशित अनुसार अन्य कार्य।

10.11.1 स्थापित औद्योगिक क्षेत्र

(अ) निगम के नियंत्रणाधीन स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्र/औद्योगिक क्षेत्र/पार्कों का विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका 10.7 स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्र/औद्योगिक क्षेत्र/पार्कों का विवरण			
क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	आबंटन योग्य भूमि (हेक्टेयर में)
औद्योगिक क्षेत्र (200 हेक्टेयर से अधिक)			
1	औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	395.563	251.483
2	औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, रायपुर	1184.40	872.812
3	औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, बिलासपुर	338.42	217.49
4	औद्योगिक क्षेत्र बोरई, दुर्ग	450.810	192.462
5	औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी, बिलासपुर	244.86	157.56
योग:-		2614.053	1691.807
औद्योगिक क्षेत्र (100 से 200 हेक्टेयर तक)			
6	औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी, रायपुर	164.300	103.48
7	इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज भिलाई	141.613	59.15
8	औद्योगिक क्षेत्र मेटलपार्क, रायपुर	101.790	35.82
योग:-		407.703	198.448
औद्योगिक क्षेत्र (50 से 100 हेक्टेयर तक)			
9	महरूम कला, जिला राजनांदगांव	66.858	—
10	औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर	55.84	39.48
11	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) बिरकोनी, जिला महासमुंद	96.42	41.82
12	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) नयनपुर-गिरवरगंज,	51.237	24.061
13	फुडपार्क बगौद, जिला धमतरी	68.74	23.45
14	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) लखनपुरी, जिला कांकेर	53.30	25.86
योग:-		392.39	154.671

औद्योगिक क्षेत्र (50 हेक्टेयर तक)			
15	औद्योगिक क्षेत्र रावांभाठा, रायपुर	37.18	30.95
16	औद्योगिक क्षेत्र आमासिवनी, रायपुर	11.83	10.04
17	अंजनी, पेण्डारोड	19.42	10.89
18	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) हरिनछपरा जिला कबीरधाम	20.93	11.09
19	औद्योगिक क्षेत्र तेन्दुआ, रायपुर	20.991	7.27
20	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र(आईआईडीसी)टेकनार, जिला दन्तेवाड़ा	19.27	9.016
21	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र(आईआईडीसी)कॉपन, जिला जांजगीर चांपा	43.06	15.325
22	औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी तिल्दा, रायपुर	32.32	15.29
23	औद्योगिक क्षेत्र गंगापुर खुर्द, जिला सरगुजा	12.25	4.73
24	इलेक्ट्रानिक मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर ग्राम तुता, नया रायपुर	45.75	22.83
25	औद्योगिक क्षेत्र महरूम खुर्द, जिला राजनांदगांव	37.12	13.87
26	औद्योगिक क्षेत्र अवरेठी, भाटापारा	8.615	5.479
औद्योगिक क्षेत्र अवरेठी, भाटापारा		308.736	156.78

(ब) एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (IIDC):—भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत राज्य में सूक्ष्म, लघु उद्योगों की स्थापना हेतु एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्रों की स्थापना की जाती है। नवीनयोजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम रु. 6 करोड़ का अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, शेष राशि का अंशदान राज्य शासन द्वारा दिया जाता है। राज्य में इनकी स्थापना हेतु नोडल एजेंसी सी.एस.आई.डी.सी. है।

भारत शासन के सहयोग से निम्न नये एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

तालिका 10.8 एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र						
क्रं.	औद्योगिक केन्द्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (एकड़ में)	परियोजना लागत (रु.करोड़ में)	केन्द्रीय अनुदान (रु.करोड़ में)	राज्य शासन का अंश (रु.करोड़ में)
1.	खमरिया	मुंगेली	60	21.15	6.00	15.15
2.	परसगढ़ी	कोरिया	32	12.20	6.00	6.20
3.	सियारपाली / महुआपाली	रायगढ़	39	14.50	6.00	8.50

तालिका 10.9 एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र अंतर्गत प्रस्तावित आई.आई.डी.सी.				
क्रं.	प्रस्तावित औद्योगिक केन्द्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (एकड़ में)	परियोजना लागत (रु.करोड़ में)
1.	अभनपुर	रायपुर	39.88	11.61
2.	जी-जामगांव	धमतरी	24.71	7.67

(स) स्थापित विशिष्ट औद्योगिक पार्क

- **मेटल पार्क— जिला रायपुर** :—विशिष्ट उद्योगों पर आधारित औद्योगिक पार्कों की स्थापना के अंतर्गत रायपुर में रावांभाटा में फेरस तथा नान फेरस डाऊनस्ट्रीम अप्रदूषणकारी सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने की दृष्टि से रायपुर शहर से 12 कि.मी. की दूरी पर ग्राम रावांभाटा में स्थापित मेटल पार्क की स्थापना पूर्ण हो चुकी है ।
- **इंजीनियरिंग पार्क— जिला दुर्ग** :—विशिष्ट उत्पाद आधारित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के अंतर्गत इंजीनियरिंग उत्पाद संबंधी समूह उद्योगों के विकास हेतु भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज, भिलाई से लगे हुए ग्राम हथखोज में कुल 122.618 हेक्टेयर भूमि पर निगम द्वारा इंजीनियरिंग उत्पादों के क्लस्टर विकास हेतु इंजीनियरिंग पार्क विकसित किया गया है ।
- **इलेक्ट्रानिक मेन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर — जिला रायपुर** :—नया रायपुर में 48.56 हे. भूमि पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रानिक मेन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना प्रारंभ किया जाकर उद्योग स्थापना हेतु अब तक 8 इकाइयों को भूमि आबंटन किया गया है, जिनमें से 3 इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है ।
- **फूड पार्क— जिला धमतरी** :—ग्राम बगौद जिला-धमतरी में कुल 68.68 हेक्टेयर भूमि पर फूड पार्क की स्थापना की गई है । अनुमानित परियोजना लागत रु. 45.00 करोड़ है । अधोसंरचना निर्माण कार्य प्रगति पर है । 24 इकाइयों को भूमि का आबंटन किया चुका है । एक इकाई मेसर्स संघवी फूड्स प्रा.लिमि. द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है तथा तीन इकाइयां निर्माणाधीन हैं ।

10.11.2 स्थापनाधीन / प्रस्तावित विशिष्ट औद्योगिक पार्क

- **नवीन फूड पार्क की स्थापना** —प्रदेश में 200 फूड पार्क की स्थापना प्रस्तावित है जिसमें से 146 विकासखण्डों में से 103 विकासखण्डों में भूमि चिन्हांकित की जा चुकी है । तीन जिलों सुकमा, बस्तर एवं उत्तर बस्तर कांकेर में फूड पार्क की स्थापना की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है ।

- **जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क— जिला रायपुर** —रायपुर में 10 एकड़ भूमि पर जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क प्रस्तावित किया गया है। उक्त परियोजना की कुल लागत रु. 350 करोड़ है।

10.11.3 नये लघु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना :—राज्य में निम्न जिलों में लघु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की कार्यवाही प्रारंभ की गयी है। जिससे सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा सकेगा साथ ही साथ स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा—

तालिका 10.10 नये लघु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना			
क्रमांक	जिले का नाम	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	रायगढ़	मौहापाली—सियारपाली	29.727
2	मुर्गेली	खम्हरिया	24.00
3	बिलासपुर	सिलपहरी	22.00
4	जगदलपुर	कलचा	22.89
5	बेमेतरा	खैरा	25.40
6	कोरिया	परसगढ़ी	13.24
7	जांजगीर—चांपा	बाराद्वार	15.00

10.11.4 परीक्षण प्रयोगशाला भिलाई :— परीक्षण प्रयोगशाला भिलाई के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 3500 लघु उद्योग इकाइयों को उनके उत्पाद परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रयोगशाला हेतु एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त की गई है एवं अब इसके परीक्षण राष्ट्रीयस्तर पर मान्य हैं।

10.11.5 लघु उद्योगों को विपणन सुविधा :—राज्य के लघु उद्योगों के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य में लागू “छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित)” में संशोधन किये गये हैं। जिसके फलस्वरूप समस्त शासकीय विभागों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रम, मंडल, जिला पंचायत एवं नगरीय निकाय भी भण्डार क्रय नियमों की परिधि में रहेंगे। भण्डार क्रय नियम के परिशिष्ट-1 की आरक्षित सूची में कुल 65 आयटम/उत्पाद सूचीबद्ध हैं।

राज्य के लघु उद्योग इकाइयों को प्रोत्साहन के दृष्टिगत भण्डार क्रय नियम के प्रावधान के अनुसार दर निर्धारण के समय मध्यम, वृहद एवं राज्य के बाहर स्थित इकाइयों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित लघु उद्योग इकाइयों को 10% (दस प्रतिशत) की मूल्य अधिमान्यता का लाभ दिया जाता है। इसी प्रकार क्रय अधिमान्यता स्थानीय लघु उद्योगों इकाइयों को राज्य के बाहर स्थित इकाइयों की तुलना में 5 प्रतिशत (पाँच प्रतिशत) क्रय अधिमान्यता का लाभ स्थानीय लघु उद्योगों इकाइयों को प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित बी.आई.एस. प्रमाण-पत्र धारी लघु उद्योगों को अन्य उद्योगों के विरुद्ध 10 प्रतिशत क्रय अधिमान्यता भी प्रदान की गई है।

भण्डार क्रय नियम-3 के तहत परिशिष्ट-1 की सूची में आरक्षित वस्तुओं के दर निर्धारण एवं दर अनुबंध हेतु शासन द्वारा निविदा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता करने के उद्देश्य से क्रियान्वित ई-प्रोक्यूरमेंट सिस्टम के अंतर्गत निर्माता इकाई या निर्माता इकाई के अधिकृत प्रदायकर्ता इकाई (दोनों में से कोई

एक) के लिए ई-निविदा प्रकाशित की जाती है। छत्तीसगढ़ शासन के ई-प्रोक्यूरमेंट सिस्टम के अंतर्गत आमंत्रित ई-निविदा में प्रचलित दर निर्धारण प्रक्रियाओं अनुसार छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम में निहित प्रावधान के तहत आरक्षित सामग्रियों की दरें निर्धारित कर पात्र निविदाकर्ता इकाईयों के पक्ष में दर अनुबंधित निष्पादित किया जाता है।

10.11.6 कौशल उन्नयन गतिविधियां

10.11.6.1 अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिज़ाइन सेंटर :-रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव में अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिज़ाइन सेंटर स्थापित किये गये हैं। इससे राज्य के युवाओं को अपेरल क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं रोजगार प्राप्त हो रहा है।

बस्तर संभाग में युवाओं हेतु कौशल विकास/प्रशिक्षण

- बस्तर संभाग के जिला सुकमा में अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिज़ाइन सेंटर की स्थापित है।
- इस प्रशिक्षण केन्द्र में 240 युवाओं को प्रशिक्षण की सुविधा।
- प्रशिक्षण केन्द्र में वस्त्र उद्योग से संबंधित विभिन्न ट्रेड जैसे अपेरल मैनुफेक्चरिंग टेक्नालाजी, प्रोडक्शन सुपरविज़न, अपेरल पैटर्न मेकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, कटिंग, टेलरिंग, सिलाई मशीन आपरेटर आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

10.11.6.2 टूल रूम की स्थापना :-लघु उद्योगों को परीक्षण सुविधा एवं युवाओं को प्रशिक्षण हेतु बोरई में टूल रूम के लिये 25 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित की गई है। इस भूमि पर भारत सरकार द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से टूल रूम की स्थापना प्रगति पर है। अस्थायी रूप से सीएसआईडीसी की परीक्षण प्रयोगशाला भिलाई में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। इस संस्थान में विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

10.11.6.3 सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी (सीपेट) :-प्लास्टिक उद्योग में युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु सीपेट ("सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी) की स्थापित किया गया है। यहां दीर्घकालीन एवं डिप्लोमा तथा पीजी डिप्लोमा कोर्स संचालित है।

10.11.7 स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन :-भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की संशोधित औद्योगिक अधोसंरचना उन्नयन योजना (एम.आई.आई.यू.एस.) परियोजना का राज्य में क्रियान्वयन।

12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार द्वारा संशोधित आई.आई.यू.एस. योजना लागू है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास एवं उन्नयन के लिये अनुदान प्रदान किया जाता है। इस हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लि., स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है।

औद्योगिक अधोसंरचना के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित संशोधित एकीकृत अधोसंरचना उन्नयन योजना (एम.आई.आई.यू.एस.) के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र उरला जिला रायपुर एवं सिरगिट्टी जिला बिलासपुर के लिये अधोसंरचना यथा सड़क, बिजली, जलप्रदाय के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु पृथक-पृथक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर भारत सरकार को अग्रेषित किया गया था। भारत सरकार से दोनों परियोजनाओं हेतु स्वीकृति उपरांत कार्य पूर्ण हो चुका है।

10.11.8 बायो एथेनाल इकाईयों की स्थापना :-राज्य में बायो एथेनाल प्लांट की स्थापना हेतु 05 निवेशकों के साथ एमओयू का निष्पादन किया गया है। प्रस्तावित पूंजी निवेश रु. 727.00 करोड़ है।

निगम की वर्ष 2020-21 में व्यावसायिक गतिविधियाँ

10.11.9 लघु उद्योगों को परीक्षण जांच की सुविधा (नवंबर-19 तक) :-

टैस्टिंग लैब भिलाई में केमिकल, मेटलर्जीकल सेम्पल परीक्षित —	2171
सिविल व इलेक्ट्रिक सेम्पलों का परीक्षणआय —	रु. 9.89 लाख

10.11.10 फर्नीचर व शीट मेटल उद्योगों का संचालन (नवंबर-19 तक)

अ-फर्नीचर वर्क्स, अभनपुर	उत्पादन	रु. 195.10 लाख
	विक्रय	रु. 237.72 लाख
ब-कृषि उपकरण कारखाना, भिलाई	उत्पादन	रु. 648.75 लाख
	विक्रय	रु. 670.36 लाख

10.11.11 ऑनलाईन भुगतान सुविधा:-सीएसआईडीसी द्वारा भू-आबंटी इकाईयों से भू-आबंटन से संबंधित राशियों (प्रीमियम, लीज़रेंट, मेंटेनेंस आदि) की वसूली हेतु ऑनलाईन सुविधा सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है।

10.11.12 भू-आबंटन पत्रों को ऑनलाईन प्राप्त करना:-दिनांक 7 मार्च 2015 से लागू नवीन छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के परिपालन में उद्यमी को मांगपत्र, आशयपत्र, आबंटन आदेश, भू-प्रव्याजि में छूट, आशय पत्र में समयावधि विस्तार, संशोधन मांगपत्र आदि की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन की जा रही है।

10.11.13 जल-आपूर्ति संयोजन हेतु ऑनलाईन आवदेन पत्र सुविधा :-इकाईयों को जल-आपूर्ति के लिये ऑनलाईन आबंटन सुविधा प्रारंभ की गई है।

10.11.14 औद्योगिक क्षेत्रों का जी.आई.एस. मैप :-राज्य में औद्योगिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक क्षेत्रों का जी.आई.एस. मैप तैयार कराया जाकर आनलाईन किया गया है। साथ ही लैण्ड बैंक की उपलब्ध भूमि का भी जी.आई.एस. मैप अद्यतन कराया जा रहा है।

10.11.15 अन्य अधोसंरचना

- **सिलतरा शापिंग काम्पलेक्स, रायपुर** :—राज्य के रायपुर जिले के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में नवीन शापिंग काम्पलेक्स की स्थापना की गई है। इस भवन में भूतल तथा प्रथम तल पर कुल 121 कक्ष (व्यवसायिक दुकान—108/कार्यालय—12/रेस्टोरेंट—1) निर्मित है। रिक्त कक्षों के आबंटन के लिए आवेदन पर आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।
- **व्यवसायिक परिसर तिफरा, बिलासपुर** :—राज्य के बिलासपुर जिले में तिफरा व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया गया है। इस भवन के भूतल एवं प्रथम तल में कुल 16 कक्ष (दुकान—11/कार्यालय—4/बैंक एटीएम—1) निर्मित किये गये तथा आबंटन किया गया है।
- **व्यवसायिक परिसर बिरकोनी महासमुंद** :—राज्य के महासमुंद जिले में एकीकृत औद्योगिक विकास केन्द्र के अंतर्गत 10 दुकानों का निर्माण किया गया है। रिक्त दुकानों के आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।
- **वाणिज्यिक परिसर डंगनिया, रायपुर** :—राज्य के रायपुर शहर में निगम के आधिपत्य की भूमि पर पांच तल का वाणिज्यिक भवन का निर्माण किया गया है। जिसमें सी.एस.आर. के अंतर्गत एटीडीसी को निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराया गया है। साथ ही रेल कारीडोर परियोजना हेतु गठित छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल लिमि. एवं छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन लिमि. को स्थान किराये पर उपलब्ध कराया गया है। शेष स्थान/दुकानों के आबंटन हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिये विज्ञापन जारी किया गया है।
- **उद्योग भवन, रायपुर** :—राज्य के रायपुर जिले में जी + 3 तल का वाणिज्यिक भवन का निर्माण किया गया है, जिसके भूतल पर उद्योग संचालनालय एवं प्रथम तल पर सीएसआईडीसी मुख्यालय स्थापित है। परिसर के द्वितीय तल पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल एवं तृतीय तल पर एमएसटीसी लि. एवं ई.सी.जी.सी. लि. मासिक किराये पर आबंटित है। इसके अतिरिक्त जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर को कार्यालय हेतु भी आबंटित किया गया है।
- **व्यवसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र हरिनछपरा, कबीरधाम** :—राज्य के कबीरधाम जिले में हरिनछपरा औद्योगिक क्षेत्र में व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया गया जिसमें भूतल पर 6 दुकाने एवं प्रथम तल पर 1 प्रशासकीय भवन कुल 7 भवनों के आबंटन/किराये पर देने विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।
- **व्यवसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, बिलासपुर** :—राज्य के बिलासपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी में एसाईड प्रोजेक्ट के अंतर्गत दो गोडाउन निर्माण किया गया है। निर्यातक उद्योग अथवा अन्य इकाइयों को नियम एवं शर्तों के अधीन किराये पर गोडाउन आबंटित करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

- **औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर** :—राज्य के औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर में वेयर हाऊस पर्पस के आरक्षित 8000 वर्गफीट भूमि के आबंटन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

10.11.16 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, नई राजधानी, रायपुर :—छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के उपरांत से एक दशक की अवधि में व्यापार एवं उद्योग की दिशा में तीव्र गति से हुए विकास एवं राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश तथा आयात-निर्यात की अपार संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, प्रदर्शनी, कान्फ्रेंस, सेमिनार इत्यादि के लिये एक सर्व सुविधायुक्त ट्रेड सेंटर जिसमें आयात-निर्यात से संबंधित गतिविधियों के लिये एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन सेंटर का प्रावधान भी हो, के निर्माण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा नई राजधानी क्षेत्र के ग्राम तूता में छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर की स्थापना की जा रही है। उक्त परियोजना का निर्माण कार्य नोडल एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा नया रायपुर में नया रायपुर डेव्हलपमेंट एजेंसी से पट्टे पर प्राप्त कुल 100 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। कुल पुनरीक्षित परियोजना लागतरु. 192.14 करोड़ है।

वर्तमान में उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत कुछ आंतरिक सड़कों के साथ-साथ प्रदर्शनी परिसर, कल्चरल प्रोग्राम ग्राउण्ड, पाथवेज एवं बाऊण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 700 सीटर आडिटोरियम सहित Export Facilitation cum Convention Centre तथा Cultural Programme Stage का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

10.11.17 अन्य मुख्य कार्यकलाप :—विभाग के उपक्रम सी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक विकास हेतु देश-विदेश के औद्योगिक समूहों/उद्योगपतियों की राज्य में औद्योगिक निवेश हेतु रुचि जागृत करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से तैयार की गई वेबसाइट को और अधिक व्यवस्थित किया गया है। इसमें राज्य के वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य प्राकृतिक संसाधनों, सामाजिक अधोसंरचना, नीतियां तथा स्थापित विकास केन्द्रों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस वेबसाइट का पता www.csidc.in है।

10.12 उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण :— इस सर्वेक्षण में कारखाना अधिनियम 1948 कं अंतर्गत पंजीकृत समस्त फैक्ट्री, बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (रोजगार की शर्तें) अधिनियम 1966 के अंतर्गत पंजीकृत उद्यमों को शामिल किया जाता है। विगत उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (2011-12 से 2017-18) का मदवार विवरण नीचे दर्शित तालिका 10.11 में दिया गया है। इस तालिका से स्पष्ट होता है, कि वर्ष 2017-18 में कुल उत्पादन में 15.59 प्रतिशत, कुल आदाय में 15.77 प्रतिशत वृद्धि एवं सकल वैल्यू एडेड में 14.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2017-18 के आधार पर प्रति इकाई निष्पादन का विस्तृत विवरण तालिका 10.12 में दर्शित है।

आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2020-21

तालिका 10.11 छत्तीसगढ़ राज्य में कारखाना क्षेत्र की चयनित विशेषताओं का अनुमान (लाख ₹)									
क्र.	विशेषताएं	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (R)	प्रतिशत वृद्धि
1	कारखानों की संख्या	2472	2441	2534	2809	3037	3109	3352	7.82
2	स्थायी पूंजी	5063241	6030773	6408052	7793471	8601196	12513740	11276704	-9.89
3	कार्यशील पूंजी	3855561	4994654	5035782	7022346	5052668	997278	374077	-62.49
4	पूंजी निवेश	6706860	7916990	8091611	9709592	10157306	14293149	13233410	-7.41
5	बकाया ऋण	2598125	3930857	3318023	3642340	5127954	6621648	5350086	-19.20
6	कुल उत्पादन	9301415	10352834	10599069	11977648	9731760	10866631	12560528	15.59
7	कच्चे माल का उपयोग	5750115	6183728	5976498	6873188	5408681	5977077	7543325	26.20
8	ईंधन खपत	775441	879555	890129	1116519	1078913	1144217	1345576	17.60
9	कुल आदाय	7749533	8514861	8153091	9751457	8332273	9159242	10604081	15.77
10	सकल वेल्थ एडेड	1551883	1837972	2157709	2226191	1399487	1707652	1956447	14.57
11	शुद्ध वेल्थ एडेड	1260536	1521724	2125353	1815125	939603	1138267	1449542	27.35
12	सकल स्थायी पूंजी निर्माण	1061518	1072289	1232281	1407004	1253597	1291546	866708	-32.89
13	सकल पूंजी निर्माण	1254107	1169576	1300026	1339751	1093147	1432718	1143164	-20.21
14	लाभ	543238	669450	1261218	805046	-38707	-101798	58863	157.82

Source- csoisw.gov.in

तालिका 10.12 छत्तीसगढ़ राज्य में कारखाना क्षेत्र की प्रति इकाई निष्पादन									
क्र.	सूचक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18(R)	%वृद्धि
1	स्थायी पूंजी	2048	2471	2529	2774	2832	4025	3364	-16.42
2	कार्यशील पूंजी	1560	2046	1987	2500	1664	321	112	-65.23
3	पूंजी निवेश	2713	3243	3193	3457	3345	4597	3948	-14.12
4	बकाया ऋण	1051	1610	1309	1297	1688	2130	1596	-25.07
5	कुल उत्पादन	3763	4241	4183	4264	3204	3495	3747	7.22
6	कच्चे माल का उपयोग	2326	2533	2359	2447	1781	1923	2250	17.03
7	ईंधन खपत	314	360	351	397	355	368	401	9.08
8	कुल आदाय	3135	3488	3217	3472	2744	2946	3164	7.38
9	सकल वेल्थ एडेड	628	753	852	793	461	549	584	6.31
10	शुद्ध वेल्थ एडेड	510	623	839	646	309	366	432	18.15
11	सकल स्थायी पूंजी निर्माण	429	439	486	501	413	415	259	-37.70
12	सकल पूंजी निर्माण	507	479	513	477	360	461	341	-26.02
13	लाभ	220	274	498	287	-13	-33	18	153.21

Source- csoisw.gov.in

10.14 छत्तीसगढ़ राज्य में महत्वपूर्ण उद्योगों का योगदान:—उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2016-17 से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तीन उद्योग हैं— खाद्य उत्पादों का विनिर्माण, गैर धात्विक उत्पादों का विनिर्माण है तथा मूल धात्विक उत्पादन, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में 5.82 प्रतिशत, 17.31 प्रतिशत एवं 57.93 प्रतिशत क्रमशः योगदान रहा। जिसका विवरण सारणी 10.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.13 छत्तीसगढ़ राज्य में कारखाना क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण उद्योगों का योगदान (लाख रु.) वर्ष 2016-17								
क्र.	महत्वपूर्ण उद्योगों का योगदान (लाख रु.)					उद्योगों का प्रतिशत योगदान		
	विशेषताएं	All	10	23	24	10	23	24
1	कारखानों की संख्या	3109	1291	286	568	41.52	9.20	18.27
2	स्थायी पूंजी	12513740	181277	2838910	6008487	1.45	22.69	48.02
3	कार्यशील पूंजी	997278	198579	-258341	1283505	19.91	-25.90	128.70
4	पूंजी निवेश	14293149	364778	3063351	7098999	2.55	21.43	49.67
5	बकाया ऋण	6621648	197842	1526506	3042045	2.99	23.05	45.94
6	कुल उत्पादन	10866893	1361406	997376	6725273	12.53	9.18	61.89
7	कच्चे माल का उपयोग	5977077	884458	333714	3889771	14.80	5.58	65.08
8	ईंधन खपत	1144217	42076	214819	809277	3.68	18.77	70.73
9	कुल आदाय	9159242	1262050	701736	5736066	13.78	7.66	62.63
10	सकल वैल्यू एडेड	1707651	99356	295640	989207	5.82	17.31	57.93
11	शुद्ध वैल्यू एडेड	1138267	77660	184612	666413	6.82	16.22	58.55
12	सकल स्थायी पूंजी निर्माण	722160	-5182	321892	372269	-0.72	44.57	51.55
13	सकल पूंजी निर्माण	1432718	18764	512514	764804	1.31	35.77	53.38
14	लाभ	-101798	18929	31608	-30079	-18.59	-31.05	29.55
15	कामगारों की संख्या की संख्या	146551	19196	16765	71273	13.10	11.44	48.63
16	कुल नियोजित कर्मचारी	187374	27055	21202	88934	14.44	11.32	47.46
17	कामगारों को मजदूरी	295167	18453	22958	204483	6.25	7.78	69.28
18	कुल परिलब्धियां	577798	34605	61591	384238	5.99	10.66	66.50
स्रोत - उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 16-17 (NIC'08)= खाद्य उत्पादों का विनिर्माण, 23 (NIC'08)= गैर धात्विक उत्पादों का विनिर्माण (सीमेंट सहित), 24 (NIC '08) = मूल धात्विक उत्पादों का विनिर्माण								

Source- csoisw.gov.in

10.15 अखिल भारत एवं छत्तीसगढ़ राज्य की तुलना:- नवीनतम उपलब्ध ASI 2016-17 के परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि भारत की तुलना में छत्तीसगढ़ में स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, पूंजी निवेश एवं बकाया ऋण में न्यूनतम बढ़ोत्तरी हुई जिस कारण सकल पूंजी निर्माण में बढ़ोत्तरी हुई है। परंतु कुल उत्पादन में कमी होने से सकल वैल्यू एडेड में छत्तीसगढ़ का अंश कम हुआ है। तथापि पूंजी निर्माण में बढ़ोत्तरी भविष्य में लाभदायक प्रतीत होती है।

तालिका 10.14 अखिल भारत एवं छत्तीसगढ़ राज्य का कारखाना क्षेत्र का तुलनात्मक विवरण (लाख रु.)						
विशेषताएं	2016-17			2017-18 (R)		
	अखिल भारतीय	छत्तीसगढ़	भारत में छ.ग. का प्रतिशत भाग	अखिल भारतीय	छत्तीसगढ़	भारत में छ.ग. का प्रतिशत भाग
कारखानों की संख्या	234865	3109	1.32	237684	3352	1.41
स्थायी पूंजी	319038649	12513740	3.92	329341000	11276704	3.42
कार्यशील पूंजी	66308287	997278	1.50	64411890	374077	0.58
पूंजी निवेश	429625490	14293149	3.33	446846553	13233410	2.96
बकाया ऋण	136598063	6621648	4.85	133880064	5350086	4.00
कुल उत्पादन	726551423	10866893	1.50	808167115	12560528	1.55
कच्चे माल का उपयोग	444512513	5977077	1.34	512505377	7543325	1.47
ईंधन खपत	30783179	1144217	3.72	34979770	1345576	3.85
कुल आदाय	589746374	9159242	1.55	660681736	10604081	1.61
सकल वेल्थ एडेड	136805049	1707652	1.25	147485379	1956447	1.33
सकल स्थायी पूंजी निर्माण	36910006	1291546	3.50	33105797	866708	2.62
सकल पूंजी निर्माण	44091096	1432718	3.25	43311325	1143164	2.64
लाभ	53935285	-101798	-0.19	58469673	58863	0.10
श्रमिक संख्या	11662947	146551	1.26	12224402	147310	1.21
काम में लगे कुल व्यक्ति	14911189	187374	1.26	15614598	185805	1.19

Source- csoisw.gov.in

10.16 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (IIP) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के विकास की दर मापी जाती है। विश्व के लगभग सभी देशों में इस सूचकांक का आकलन किया जाता है। इसके अलावा भारत के प्रमुख राज्य में भी राज्य स्तरीय औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक तैयार किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में इस सूचकांक के तैयार नहीं होने के कारण भारत के सूचकांक को मानते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय संपूर्ण भारत के लिए मासिक IIP संकलन कर जारी करता है।

तालिका 10.15 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक							
क्षेत्र	भार (Weight)	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक		औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अप्रैल से नवम्बर		प्रतिशत वृद्धि	
		नव. 19	नव. 20	2019-20	2020-21	नव.	अप्रैल से नवम्बर
सामान्य सूचकांक	100	128.8	126.3	128.1	108.3	-1.9	-15.5
खनन	14.37	112.7	104.5	101.9	89.2	-7.3	-12.5
विनिर्माण	77.63	130.6	128.4	129.5	107.1	-1.7	-17.3
विद्युत	7.99	139.9	144.8	161.8	154.4	3.5	-4.6

स्रोत- mospi.gov.in

ग्रामोद्योग (रेशम प्रभाग)

10.17 प्रदेश में टसर कृमिपालन का कार्य परंपरागत है। संचालित योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे स्थानीय निर्धन विशेष कर अनुसूचित जाति जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ राज्य को दो प्रकार की रेशम प्रजातियों टसर एवं मलबरी ककून का उत्पादन होता है।

10.17.1 पालित डाबा टसर ककून उत्पादन योजना :- इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में उपलब्ध साजा-अर्जुन के टसर खाद्य पौधों पर टसर कीट पाले जाते हैं। इस योजना को अपनाने के लिये हितग्राहियों को किसी प्रकार की पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे कृषक जिनकी स्वयं की भूमि पर पर्याप्त मात्रा में टसर खाद्य पौधे उपलब्ध हैं, इस योजना को अपना कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। विभाग द्वारा टसर स्वस्थ डिम्ब समूह रियायती दर पर 2.00 प्रति स्व.समूह (अंडे) की दर से प्रति कृषक को 100 स्वस्थ डिम्ब समूह उपलब्ध कराया जाता है। जिससे वर्ष में तीन फसल कृषकों द्वारा उत्पादित की जा सकती हैं। प्रत्येक फसल में 8,000 से 10,000 टसर कोसा का उत्पादन कर 500 रु से 3,000 रु. प्रति हजार मूल्य कृषकों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, उक्त योजना प्रदेश के 28 जिलों में संचालित 427 टसर कोसा बीज केन्द्रों एवं नवीन (राजस्व/वन भूमि) विस्तार केन्द्र तथा चिन्हांकित वन क्षेत्रों में योजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2019-20 में पालित डाबा टसर ककून का प्रस्तावित लक्ष्य 1,008 लाख नग के विरुद्ध मार्च-19 तक 920.713 लाख नग (रेशम प्रभाग द्वारा) एवं प्रदेश की केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा 61.687 लाख नग इस प्रकार **कुल 982.40 लाख नग पालित टसर ककून का उत्पादन किया गया है।** मार्च-19 अंत तक कुल 31,593 हितग्राही / श्रमिक लाभान्वित हुये हैं।

वर्ष 2020-21 में कुल 959.63 लाख नग पालित कोसा का उत्पादन लक्ष्य प्रस्तावित है, तथा 31,407 हितग्राही / श्रमिकों को लाभान्वित करना प्रस्तावित है। माह सितम्बर-2020 तक कुल 201.613 लाख नग कोसा का उत्पादन हो चुका है, एवं 16,984 हितग्राही / श्रमिक लाभान्वित हुए हैं।

तालिका 10.16 विगत वर्षों की पालित प्रजाति के टसर ककून उत्पादन									
क्र.	विवरण	इकाई	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20. 21(सितं 20)
1	पालित टसर	लाख नग में	634.78	769.367	874.002	851.543	948.302	982.40	201.613
2	लाभान्वित हितग्राही / श्रमिक	संख्या में	22525	34587	33639	34117	33095	31593	16984

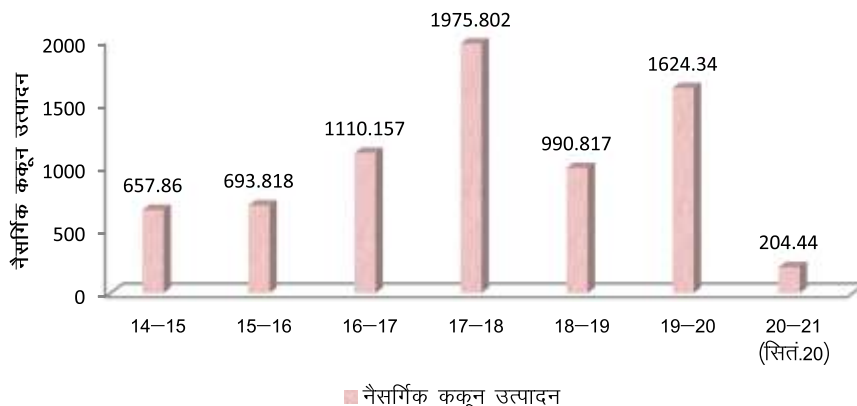
पालित टसर, ककून का उत्पादन



10.17.2 नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं कोसा संग्रहण योजना :—वर्ष 2019-20 में नैसर्गिक ककून उत्पादन लक्ष्य 1,850.00 लाख नग एवं हितग्राही संग्रहक लक्ष्य 56,463 के विरुद्ध 1,624.34 लाख नग ककून का उत्पादन/संग्रहण कर 53,268 संग्राहकों हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2020-21 में नैसर्गिक ककून का प्रस्तावित लक्ष्य 1,750.21 लाख नग कोसा का लक्ष्य प्रस्तावित है जिससे 58,311 हितग्राही/संग्रहक लाभान्वित होंगे। माह सितम्बर-2020 तक अनुमानित कुल 204.44 लाख नग कोसा का संग्रहण हुआ जिससे 5,254 अनुमानित हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।

तालिका 10.17 विगत वर्षों में नैसर्गिक ककून का उत्पादन									
क्र.	विवरण	इकाई	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21 (सितं.20)
1	लगाये गये केम्प	संख्या	72	168	224	590	120	139	46
2	नैसर्गिक ककून उत्पादन	लाख नग	657.86	693.818	1110.157	1975.802	990.817	1624.34	204.440
3	लाभान्वित हितग्राही	संख्या	21469	29042	44009	46386	32765	53268	5254

नैसर्गिक ककून का उत्पादन



10.17.3 टसर धागा करण योजना:— प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्ष 2019-20 में 472.228 मि.टन सांख्यिकीय आधार पर टसर रॉ-सिल्क एवं स्पन धागा उत्पादित किया गया है। वर्ष 2020-21 में सांख्यिकी आधार पर 493.94 मि.टन टसर रॉ सिल्क एवं स्पन सिल्क उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है माह सितम्बर- 2020 तक कुल 71.131 मि.टन रॉ सिल्क का उत्पादन सांख्यिकीय आधारित है।

तालिका 10.18 विगत वर्षों में रा-सिल्क एवं स्पन सिल्क का उत्पादन विवरण									
क्र.	विवरण	इकाई	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20. 21(सितं. 20)
1	टसर रॉ एवं स्पन धागा उत्पादन सांख्यिकी आधारित	मि.टन में	226.788	254.168	353.13	522.892	340.406	472.228	71.131

10.17.4 मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना :-प्रदेश में 66 रेशम केन्द्र, 18 ककून बैंक 04 यार्न बैंक संचालित हैं। वर्ष 2019-20 में 57,275 किलोग्राम मलबरी ककून उत्पादन कर कुल 2,469 हितग्राही/श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2020-21 में 72,600 किलोग्राम लक्ष्य प्रस्तावित है जिससे कुल 3,200 हितग्राही/श्रमिकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है, माह सितम्बर-2020 तक कुल 14,114 किलोग्राम कोसा का उत्पादन हुआ जिससे 1,797 हितग्राही/श्रमिक लाभान्वित हुये हैं कृमिपालनकार्य प्रगति पर है।

तालिका 10.19 विगत वर्षों में पालित मलबरी, ककून का उत्पादन									
क्र.	विवरण	इकाई	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20.21 (सितं.20)
1	मलबरी ककून उत्पादन	कि०ग्रा० में	66278	68918	60501	68639	68914	57275	14114
2	लाभान्वित हितग्राही/श्रमिक	संख्या	3457	3242	2675	2936	3137	2469	1797

रेशम प्रभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2019-20 में कुल 87,330 हितग्राही/श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2020-21 में 92,678 हितग्राही/श्रमिक लाभान्वित का लक्ष्य रखा गया है। माह सितम्बर-2020 तक कुल 24,035 हितग्राही/श्रमिक लाभान्वित हुये हैं।

ग्रामोद्योग (हाथकरघा)

10.18 ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हाथकरघा उद्योग का रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। यह उद्योग हाथकरघा बुनाई के परंपरागत धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ ही बुनकर समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं को प्रतिबिंबित करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 19,265 करघों पर लगभग 57,795 बुनकर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न हैं। राज्य के चांपा-जांजगीर एवं रायगढ़ जिला कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं, तथा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुन्द, कवर्धा, धमतरी, अंबिकापुर एवं जगदलपुर सूतीवस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं। राज्य के कोसा वस्त्र एवं जगदलपुर के परंपरागत वस्त्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हैं।

तालिका 10.20 हाथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियां रोजगार						
क्र.	विवरण	वर्ष वार प्रगति				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	बुनकर समितियां	214	230	245	256	265
2	कार्यशील करघे	15997	16699	17747	18598	19265
3	बुनाई रोजगार	47991	50091	53241	55774	57795

10.18.1 नेशनल हैण्डलूम एक्सपो एवं हाथकरघा प्रदर्शनी:—प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्त्रों के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार एवं राज्य शासन के सहयोग से हाथकरघा संघ द्वारा वर्ष 2016-17 में रायपुर तथा भिलाई में नेशनल हैण्डलूम एक्सपो किया गया। स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो बिलासपुर, कोटा (राजस्थान), भोपाल (मध्यप्रदेश), विशाखापट्टनम (आन्ध्रप्रदेश), कलकत्ता (पं.बंगाल), मुम्बई (महाराष्ट्र) तथा भुवनेश्वर (उड़ीसा) में आयोजित किया गया। हाथकरघा संघ द्वारा जिला स्तरीय प्रदर्शनी जगदलपुर, कवर्धा, जशपुर, अंबिकापुर, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद तथा मुंगेली में आयोजित किया गया।

तालिका 10.21 नेशनल हैण्डलूम एक्सपो एवं हाथकरघा				
वर्ष	प्रदर्शनी हेतु आबंटन राशि			हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री
	राज्य	केन्द्र	योग	
2009-10	51.68	56.00	107.68	550.05
2010-11	52.53	96.00	148.89	736.85
2011-12	60.00	192.00	252.00	1221.30
2012-13	60.00	204.00	264.00	1250.00
2013-14	61.00	112.00	173.00	836.00
2014-15	61.00	112.00	173.00	976.00
2015-16	61.00	128.00	189.00	987.50
2016-17	62.00	46.00	108.00	311.00
2017-18	65.00	30.00	95.00	480.00
2018-19	65.00	34.00	99.00	369.00

10.18.2 शासकीय विभागों में हाथकरघा वस्त्र प्रदाय :—छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ द्वारा प्रदेश के बुनकर सहकारी समितियों के माध्यम से शासकीय वस्त्र प्रदाय योजनान्तर्गत वस्त्र उत्पदन कार्यक्रम संचालित है। इस योजनान्तर्गत शासकीय विभागों में लगने वाले वस्त्रों की आपूर्ति, प्रदेश के हाथकरघा बुनकरों से उत्पादन कराकर की जा रही है। इस योजना से राज्य के बुनकरों को नियमित रोजगार सुलभ हुआ है।

तालिका 10.22 शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना से नियमित रोजगार					
क्र.	विवरण	वर्षवार प्रगति			
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	आपूर्ति	147.00	159.72	193.84	181.97
2	धागाप्रदाय	60.00	64.30	70.00	49.66
3	बुनाई पारिश्रमिक	49.99	51.18	75.16	47.62

10.19 छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

छत्तीसगढ़ राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योगों की इकाई स्थापना कराना है तथा उन्नत तकनीक के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर कारीगरों एवं दस्तकारों तथा सूत कातने वाली महिलाओं को रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करना है। बोर्ड द्वारा प्रमुख रूप से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

10.19.1 मुख्यमंत्री रोजगार

सृजन कार्यक्रम :- छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित परिवार मूलक योजना को संशोधित कर मुख्यमंत्री रोजगार एवं सृजन कार्यक्रम नवीन योजना की स्वीकृति दी गई है। यह राज्य शासन की योजना है। इस योजनांतर्गत परियोजना

तालिका 10.23 परिवार मूलक योजना की प्रगति (राशि लाख)						
वर्ष	लक्ष्य			पूर्ति		
	भौतिक	वित्तीय	रोजगार	भौतिक	वित्तीय	रोजगार
2015-16	3797	512.50	7594	3667	495.054	7334
2016-17	3794	512.50	7588	3794	512.50	7588
2017-18	489	512.50	2934	799	512.50	4794
2018-19 (सित.)	583	612.50	3498	209	117.54	1254
2018-19	583	612.50	3498	643	397.89	3858
2019-20 (सित.)	624	655.50	3744	440	283.42	2640
2019-20	624	655.50	3744	686	426.00	4116
2020-21 (सित.)	661	694.83	3966	206	112.50	1236

लागत राशि सेवा क्षेत्र हेतु रु. 1.00 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र हेतु रु. 3.00 लाख तथा अनुदान राशि की सीमा 35 प्रतिशत है, जिसमें लाभार्थी द्वारा स्वयं अंशदान विनियोजन 5 प्रतिशत है। इस योजनांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना करा कर स्वरोजगार से लगाने हेतु लाभान्वित किया जाता है।

10.19.2 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम :-

इस योजनांतर्गत रु. 25.00 लाख तक के परियोजना लागत की ग्रामोद्योग इकाईयां स्थापित करने पर सामान्य पुरुष वर्ग को 25 प्रतिशत तथा अ. जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. व महिलाओं को 35 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। सामान्य वर्ग के पुरुष हितग्राही को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा अन्य को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान विनियोजित करना होता है।

तालिका 10.24 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति (राशि लाख)						
वर्ष	लक्ष्य			पूर्ति		
	भौतिक	वित्तीय	रोजगार	भौतिक	वित्तीय	रोजगार
2015-16	646	1291.40	5165	338	707.969	1941
2016-17	674	1347.99	5392	605	1485.33	5941
2017-18	422	845.00	3376	498	1024.04	3984
2018-19 (सितं.)	761	1901.73	6088	381	775.41	3048
2018-19	761	1901.73	6088	906	1982.00	7248
2019-20 (सितं.)	833	2499.00	6664	387	886.05	3096
2019-20	833	2499.00	6664	932	2094.04	7456
2020-21 (सितं.)	887	2661.00	7096	218	478.75	1744

10.19.3 कारीगर प्रशिक्षण :- इस योजनागत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत युवक – युवतियों को ग्रामोद्योग स्थापना संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर उसे सफलता पूर्वक संचालित कर सकें।

तालिका 10.25 कारीगर प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति (राशि लाख रु. में)				
वर्ष	लक्ष्य		पूर्ति	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
2015-16	201	45.39	201	44.94
2016-17	213	45.39	213	45.39
2017-18	201	48.43	201	48.60
2018-19 (सितं.)	203	48.53	203	19.43
2018-19	203	48.53	203	31.59
2019-20 (सितं.)	234	52.005	234	20.82
2019-20	234	52.005	234	29.50
2020-21 (सितं.)	257	55.17	-	-

10.19.4 खादी उत्पादन :- खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित 9 उत्पादन केन्द्र (कुंवरगढ़, सारागांव, मैनपुर, गरियाबंद, भगतदेवरी, तिफरा बिलासपुर, हरदी बाजार, देवरबीजा एवं डिमरापाल) संचालित हैं, जहां ग्रामीण महिलाओं को अम्बर चरखा से सूत कटाई का कार्य नियमित रूप से दिया जा रहा है एवं बुनकरों द्वारा खादी वस्त्र का उत्पादन किया जाता है।

तालिका 10.26 खादी उत्पादन कार्यक्रम की प्रगति (राशि लाख रु. में)				
वर्ष	लक्ष्य		पूर्ति	
	वित्तीय	रोजगार	वित्तीय	रोजगार
2015-16	266.00	500	218.18	491
2016-17	292.60	507	291.51	507
2017-18	350.00	507	350.01	507
2018-19 (सितं.)	385.36	517	159.44	517
2018-19	350.00	520	320.59	520
2019-20 (सितं.)	425.00	584	317.58	584
2019-20	425.00	584	431.48	585
2020-21	500.00	579	183.33	579

10.19.5 पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केन्द्र (बांस कला केन्द्र) :-बस्तर जिले में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जगदलपुर में पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केन्द्र (बांसकला केन्द्र), संचालित है। इसमें आदिवासी महिलाओं के माध्यम से आदिवासी संस्कृति में कलात्मक वस्तुयें तैयार कर प्रदेश के भीतर एवं बाहर बिक्री एवं प्रचार-प्रसार किया जाता है, इस केन्द्र पर अनुसूचित जनजाति वर्ग की ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है।

तालिका 10.27 बांस कला/शिल्प कार्यक्रम की प्रगति (राशि लाख रु. में)					
वर्ष	विवरण	लक्ष्य		पूर्ति	
		वित्तीय	रोजगार	वित्तीय	रोजगार
2015-16	उत्पादन	12.00	40	14.00	13.20
	विक्रय	13.00	विभागीय	13.15	विभागीय
2016-17	उत्पादन	13.20	40	36.56	40
	विक्रय	15.40	विभागीय	36.16	विभागीय
2017-18	उत्पादन	26.08	42	29.63	42
	विक्रय	30.60	42	30.64	विभागीय
2018-19 (सितं.)	उत्पादन	28.68	42	16.61	42
	विक्रय	33.66	विभागीय	12.54	विभागीय
2018-19	उत्पादन	28.68	42	36.93	42
	विक्रय	33.66	विभागीय	34.59	विभागीय
2019-20 (सितं.)	उत्पादन	32.00	42	29.35	42
	विक्रय	37.00	विभागीय	24.80	विभागीय
2019-20	उत्पादन	32.00	42	38.02	46
	विक्रय	37.00	विभागीय	37.60	विभागीय
2020-21 (सितं.)	उत्पादन	32.00	42	5.32	42
	विक्रय	37.00	विभागीय	3.04	विभागीय

10.19.6 विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार :- इसके अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में स्थित खादी ग्रामोद्योग भंडारों के माध्यम से खादी उत्पादन केन्द्रों, बांस कला केन्द्र एवं बोर्ड के माध्यम से लाभान्वित ग्रामोद्योग इकाईयों द्वारा उत्पादित सामग्रियों का विक्रय किया जा रहा है।

तालिका 10.28 विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भंडार की प्रगति (राशि लाख रु. में)					
वर्ष	विवरण	लक्ष्य		पूर्ति	
		वित्तीय	रोजगार	वित्तीय	रोजगार
2015-16	विक्रय	360.00	विभागीय	371.18	विभागीय
2016-17	विक्रय	396.00	विभागीय	438.02	विभागीय
2017-18	विक्रय	600.00	विभागीय	610.20	विभागीय
2018-19 (सित.)	विक्रय	659.98	विभागीय	106.58	विभागीय
2018-19	विक्रय	659.98	विभागीय	265.91	विभागीय
2019-20 (सित.)	विक्रय	725.00	विभागीय	816.88	विभागीय
2019-20	विक्रय	725.00	विभागीय	888.87	विभागीय
2020-21 (सित.)	विक्रय	500.00	विभागीय	89.29	विभागीय